रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 652] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 8, 2019/कार्तिक 17, 1941
No. 652] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 8, 2019/KARTIKA 17, 1941

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2019

सा.का.नि. 829(अ).—केंद्र सरकार, सिक्का निर्माण अधिनियम, 2011 (2011 का 11) की धारा 24 की उप-धारा (2) के खंड (घ) और खंड (ड.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राज्य सभा के 250वें सत्र को मनाने के लिए **दो सौ पचास रूपये** का सिक्का निर्माण नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सिक्कों का अंकित मूल्य.– "राज्य सभा के 250वें सत्र" के अवसर पर केंद्र सरकार के प्राधिकार के अधीन जारी करने के लिए टकसाल में दो सौ पचास रुपये के मूल्यवर्ग के सिक्के का निर्माण भी किया जायेगा, नामत:

3. सिक्कों की विमाएं और संरचना.– नियम 2 में उल्लिखित अंकित मूल्य के सिक्के निम्नलिखित विमाओं और संरचना के अनुरूप होंगे, अर्थात् :-

सिक्के का अंकित मूल्य	आकृति और बाह्य व्यास	दांतों की संख्या	धातु संरचना
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ पचास रूपये	वृत्ताकार 44 मिलीमीटर	200	**शुद्ध चांदी** **चांदी-** 99.9 प्रतिशत

4. डिजाइन.– सिक्कों का डिजाइन इन नियमों की पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होगा।

5. मानक वजन तथा अनुज्ञात छूट.– राज्य सभा के 250वें सत्र के अवसर पर स्मारक सिक्के जारी करने के लिए उक्त मूल्यवर्ग के सिक्कों का मानक वजन और ऐसे सिक्कों को बनाने में अनुज्ञात छूट वह होगी जो इन नियमों की दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई है।

पहली अनुसूची

(नियम 4 देखें)

दो सौ पचास रूपये

अग्र भाग:

सिक्के के मुख भाग पर मध्य में अशोक स्तम्भ का सिंह शीर्ष होगा, जिसके नीचे **"सत्यमेव जयते"** उत्कीर्णित होगा, उसकी बायीं परिधि पर देवनागरी लिपि में **"भारत"** और दायीं परिधि पर अंग्रेजी में **"INDIA"** शब्द होगा। सिंह शीर्ष के नीचे रुपये का प्रतीक **"₹"** और अंतर्राष्ट्रीय अंकों में अंकित मूल्य **"250"** भी होगा ।

पृष्ठ भाग:

सिक्के के इस भाग के मध्य में शीर्ष में राष्ट्र ध्वज के साथ संसद भवन का चित्र तथा "महात्मा गांधी" के चित्र के साथ राज्य सभा चैम्बर की बैठक व्यवस्था होगा। सिक्के की ऊपरी परिधि पर क्रमशः हिंदी में **"राज्य सभा का 250वां सत्र"** तथा सिक्के की निचली परिधि पर अंग्रेजी में **"250th SESSION OF RAJYA SABHA"** उत्कीर्णित होगा। संसद भवन के चित्र के नीचे अंतर्राष्ट्रीय अंकों में वर्ष **"2019"** अंकित होगा।

दूसरी अनुसूची

(नियम 5 देखें)

सिक्के का अंकित मूल्य	मानक वजन	अनुमत छूट	
		संरचना में	मानक वजन में
(1)	(2)	(3)	(4)
दो सौ पचास रूपये	40 ग्राम	प्रति 1000 में रजत का 999 भाग। रजत अंश के लिए छूट 998.8 तथा उससे ऊपर होगी।	1/7500 वां हिस्सा जमा या घटा अर्थात् वजन 39.995 ग्राम से 40.005 ग्राम के बीच हो सकता है।

[फा. सं. 02/14/2019–सिक्का]

शशांक सक्सेना, सलाहकार (सी एण्ड सी)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economics Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th November, 2019

G.S.R. 829(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (d) and (e) of sub-section (2) of section 24 of the Coinage Act, 2011(11 of 2011), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.–**(1) These rules may be called the Coinage of Two Hundred and Fifty Rupees to commemorate the occasion of 250th Session of Rajya Sabha Rules, 2019.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Denomination of Coin.–** The coin of Two Hundred and Fifty Rupees denomination shall be coined at the Mint for issue under the authority of the Central Government on the occasion of **"250th Session of Rajya Sabha".**

3. Dimension and composition of coin.–The coin of the above denomination mentioned in rule 2 shall conform to the following dimensions and composition, namely:-

Denomination of coin	Shape and outside diameter	Number of serrations	Metal composition
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred and Fifty Rupees	Circular 44 millimeter	200	Pure Silver Silver - 99.9 per cent

4. Design.–The design of the coin shall be as specified in the First Schedule to these rules**.**

5. Standard weight and remedy allowed.–The standard weight of the coins of above denomination coined to commemorate the occasion of the 250th Session of Rajya Sabha and the remedy allowed in making of such coin shall be as specified in the Second Schedule to these rules.

The First Schedule

(See rule 4)

TWO HUNDRED AND FIFTY RUPEES

OBVERSE:

This face of the coin shall bear the Lion Capitol of Ashoka Pillar in the centre with the legend "**सत्यमेव जयते**" inscribed below, flanked on the left periphery with the word " **भारत** " in Devnagri script and on the right periphery with the word "**INDIA**" in English. It shall also bear the Rupee symbol "`" and denominational value **"250"** in international numerals below the Lion Capitol.

REVERSE:

This face of the coin shall bear the image of Parliament House with National flag on top and seating arrangement of Rajya Sabha Chamber along with the portrait of "Mahatma Gandhi" in the centre. The inscription **" राज्य सभा का 250 वां सत्र "** in Hindi is depicted on upper periphery of the coin and **"250TH SESSION OF RAJYA SABHA"** in English is depicted on lower periphery of the coin respectively. The year 2019 in international numerals shall be written below the image of Parliament House.

The Second Schedule

(See rule 5)

Denomination of coin	Standard weight	Remedy Allowed	
		In composition	In standard weight
(1)	(2)	(3)	(4)
Two Hundred and Fifty Rupees	40 Grams	999 parts of silver per 1000. The tolerance for Silver content shall be 998.8 and above.	1/7500th plus or minus that is to say weight could be 39.995 grams to 40.005 grams.

[F. No. 02/14/2019-Coin]

SHASHANK SAKSENA, Adviser (C&C)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.11.08 19:08:23 +05'30'